HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14723/2022

Kamal Kewat @ Tantia Son Of Shri Prahlad Kewat, Aged About 25 Years, Resident Of Kero Ka Mohalla, Mardiya Basti, Balita Road, Police Station Kunhadi, District Kota (Raj.) (At Present Confined In District Jail Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14724/2022

Vimal @ Jeetendra Son Of Shri Bhawarlal, Aged About 23 Years, Resident Of Teerath, Police Station Keshorai Patan, District Bundi (Raj.) (At Present Confined In Distt. Jail Kota)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Kumar Verma
For Respondent(s)	:	Mr. Riyasat Ali, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

Order

30/09/2022

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक पृथक यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **439** के अन्तर्गत पुलिस थाना **कुन्हाडी, कोटा शहर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–45**9/22** अपराध अन्तर्गत धारा **354, 354ए, 354डी** भारतीय दंड संहिता व धारा 9जी/10 पोक्सो एक्ट में पेश किये गये है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें मिथ्या रूप से इस प्रकरण में आलिप्त किया गया हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अब कोई अनुसंधान शेष नहीं है, अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उन्हें जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्रों का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति, प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कमल केवट उर्फ टाटिया व विमल उर्फ जितेन्द्र** की ओर से प्रस्तुत यह दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाते है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /103-104

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते